

सीधी ज़िले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों की शिक्षा में शासकीय योजनाओं की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

स्वाती शुक्ला

शोध छात्रा, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय,रीवा

सारांश (Abstract)

यह शोध-पत्र सीधी जिले के संदर्भ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य जातियों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह विश्लेषण करता है कि शासकीय योजनाओं ने इन बच्चों की शिक्षा में क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाला है।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में शिक्षा को न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन माना गया है, बल्कि यह सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति और समावेशी विकास की कुंजी भी है। संविधान द्वारा सबको समान अवसर और शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई है, परंतु व्यावहारिक धरातल पर आज भी समाज के कई वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इन वर्गों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य जाति के बच्चे एक प्रमुख और उपेक्षित समूह हैं, जिन्हें न तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसी आरक्षण संबंधी विशेष सुविधाएँ प्राप्त हैं, और न ही वे आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं कि शिक्षा की लागत स्वयं वहन कर सकें।

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कई शैक्षिक योजनाएं—जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और गणवेश वितरण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), पढ़ो भारत बढ़ो भारत, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, और शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम—का उद्देश्य निर्धन और वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार यह प्रयास करती है कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए।



सीधी ज़िला, मध्यप्रदेश का एक आदिवासी बहुल और पिछड़ा जिला होने के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी विविध संरचना वाला क्षेत्र है। यहाँ सामान्य जातियों का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, जो न तो सामाजिक रूप से विशेष श्रेणी में आता है और न ही आर्थिक रूप से समर्थ है। इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच और निरंतरता कई बाधाओं से घिरी हुई है—जैसे आर्थिक संसाधनों की कमी, माता-पिता की अशिक्षा, सामाजिक उपेक्षा, और जागरूकता का अभाव। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि यह जाना जाए कि शासकीय योजनाएँ इस वर्ग तक किस हद तक पहुँच रही हैं, और उनका वास्तविक प्रभाव इन बच्चों की शिक्षा पर क्या पड़ रहा है।

यह शोध-पत्र इसी सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास है, जिसमें सीधी जिले के संदर्भ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य जातियों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही यह विश्लेषण किया जाएगा कि शासकीय योजनाओं ने इन बच्चों की शिक्षा में क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाला है। इस अध्ययन का उद्देश्य न केवल योजनाओं की पहुँच और प्रभाव का मूल्यांकन करना है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से उन कारकों की भी पहचान करना है जो इस वर्ग की शिक्षा में बाधा बन रहे हैं।

शोध उद्देश्य (Research Objectives):

1. सीधी ज़िले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. इस वर्ग के बच्चों के लिए संचालित शासकीय शैक्षिक योजनाओं (जैसे मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्यपुस्तक, गणवेश वितरण आदि) की पहुँच, जानकारी और उपयोगिता का अध्ययन करना।
3. यह जानना कि इन योजनाओं ने बच्चों की विद्यालयों में उपस्थिति, नामांकन, शैक्षिक प्रगति और पढ़ाई में रुचि पर क्या प्रभाव डाला है।
4. शिक्षा में आने वाली सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं की पहचान करना, जो सामान्य वर्ग के निर्धन बच्चों की शैक्षिक प्रगति में बाधक हैं।
5. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं एवं कमियों का मूल्यांकन करना।



6. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विश्लेषण करना कि शासकीय प्रयास किस हद तक इस वर्ग के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक हो रहे हैं।
7. शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नीति-निर्माताओं के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

समीक्षा साहित्य (Literature Review)

किसी भी शोध कार्य की बुनियाद उस विषय से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों के गहन अध्ययन पर आधारित होती है। समीक्षा साहित्य के माध्यम से शोधार्थी यह जानने का प्रयास करता है कि संबंधित क्षेत्र में अब तक क्या-क्या कार्य हुए हैं, किन निष्कर्षों तक पहुँचा गया है, और वर्तमान शोध किस नए दृष्टिकोण या आवश्यकता को पूरा करेगा।

गरीबी और शिक्षा एक-दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। यूनिसेफ (UNICEF) और यूनेस्को (UNESCO) की रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक होती है। गरीबी केवल संसाधनों की अनुपलब्धता नहीं, बल्कि सामाजिक अलगाव और अवसरों की कमी का भी कारण बनती है। अमर्त्य सेन (1999) ने अपनी पुस्तक Development as Freedom में शिक्षा को सामाजिक स्वतंत्रता की कुंजी बताते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए अनिवार्य माना।

भारत में सर्व शिक्षा अभियान (SSA), समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE, 2009), मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं आदि का उद्देश्य शैक्षिक असमानता को कम करना है। कई शोधों (जैसे रमेश और मिश्रा, 2015) में पाया गया है कि इन योजनाओं से नामांकन दर में वृद्धि हुई है, लेकिन गुणवत्ता और स्थायित्व की समस्या बनी हुई है। National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) की रिपोर्टों में यह बताया गया है कि योजना के लाभ अधिकतर वंचित वर्गों को मिलते हैं, लेकिन सामान्य जातियों के गरीब बच्चों को अक्सर इनसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। बहुत से शोध (जैसे सिंह, 2020; गुप्ता, 2018) यह बताते हैं कि सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर न तो पर्याप्त आंकड़े हैं और न ही विशेष योजनाएं जो सीधे इन तक पहुँचे। इनका शैक्षिक पिछड़ापन अक्सर अदृश्य रहता है क्योंकि वे अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते।

उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ शिक्षा को सबके लिए सुलभ और समान बनाने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए नीति और योजना



स्तर पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। इस शोध का उद्देश्य इसी शोध खाई (Research Gap) को भरना और सामाजिक दृष्टिकोण से इस वर्ग की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करना है।

शोध पद्धति (Research Methodology)

इस शोध अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विश्लेषण किया गया है कि शासकीय योजनाएँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। यह अध्ययन मध्यप्रदेश के सीधी ज़िले पर केन्द्रित है, जहाँ सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के बीच शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। शोध का क्षेत्र सीधी जिला है, जिनमें शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के बच्चों को लक्षित किया गया है।

शोध की जनसंख्या में वे परिवार शामिल हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके बच्चे शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। नमूना चयन हेतु स्तरीकृतयादृच्छिक (Stratified Random) तथा सुविधा आधारित (Purposive Sampling) विधियों का प्रयोग किया गया है। कुल 100 परिवारों को विभिन्न विकासखंडों से चुना गया है, जिनमें से प्रत्येक विकासखंड से 2-3 विद्यालयों के चयन के माध्यम से छात्रों एवं उनके अभिभावकों से संपर्क किया गया।

प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के लिए साक्षात्कारअनुसूची एवं प्रेक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कारों के माध्यम से माता-पिता, शिक्षक एवं छात्र-तीनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझा गया, वहीं विद्यालय की भौतिक स्थिति एवं बच्चों की भागीदारी को प्रत्यक्ष देखा गया। द्वितीयक आंकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, अनुसंधानों, शैक्षिक योजनाओं की समीक्षाओं तथा जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त आँकड़ों के माध्यम से प्राप्त किए गए।

संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों जैसे प्रतिशत आदि के माध्यम से किया गया है, जबकि गुणात्मक जानकारी का विषयानुसार विश्लेषण किया गया है जिससे योजनाओं की प्रभावशीलता एवं उनके क्रियान्वयन में व्यावहारिक बाधाओं को समझा जा सके। इस शोध की सीमा यह है कि यह केवल सीधी जिले के सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों तक सीमित है, अतः इसके निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं द्वारा दी गई जानकारी उनकी समझ, अपेक्षाओं एवं अनुभवों पर आधारित है, जिससे



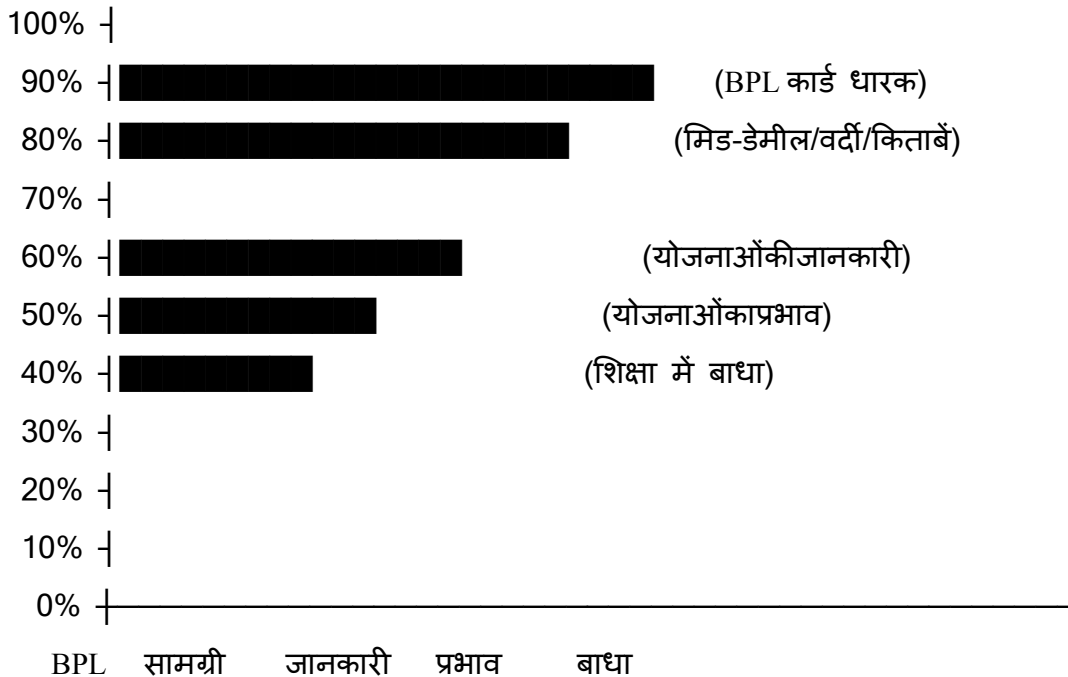
उसमें कुछ सीमाएँ रह सकती हैं। फिर भी यह शोध सीधी जिले की सामाजिक-शैक्षिक हकीकत को समझने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्राप्त आंकड़ों की विश्लेषण (Analysis of Received Data)

क्रम	प्रश्न	उत्तर का सारांश (प्रतिशत में)
1	बीपीएल कार्ड धारक	90% परिवारों के पास BPL कार्ड है
2	मासिक आय	65% परिवारों की आय ₹5000-₹8000 के बीच
3	अभिभावकों की शिक्षा	32% प्राथमिक, 40% माध्यमिक, 23% उच्च, 5% निरक्षर
5	मिड-डे मील, किताबें, वर्दी की प्राप्ति	85% बच्चों को ये सुविधाएँ नियमित मिलती हैं
6	छात्रवृत्ति या अन्य सहायता	72% बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है
7	योजनाओं की जानकारी	60% परिवारों को योजनाओं की जानकारी अधूरी है
8	योजनाओं का प्रभाव	50% ने सकारात्मक, 30% ने सीमित, 20% ने नकारात्मक कहा
9	शिक्षा में आर्थिक बाधाएँ	45% परिवारों ने पढ़ाई में रुकावट स्वीकार की



योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की स्थिति



सीधी ज़िले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों पर आधारित इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि लगभग 90% परिवार बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे शासकीय योजनाओं के पात्र लाभार्थी हैं। अधिकांश परिवारों की मासिक आय 5000 से 8000 के बीच है, जो उन्हें केवल मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी करने तक ही सीमित रखती है। ऐसी आर्थिक परिस्थिति बच्चों की शिक्षा के प्रति परिवार की प्राथमिकता को कम कर देती है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आंकड़ों से पता चला कि 32% अभिभावक केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित, 40% माध्यमिक, जबकि 23% उच्च तथा 5% निरक्षर पूर्णतः निरक्षर हैं। यह शिक्षात्मक पिछड़ापन शासकीय योजनाओं की जानकारी के अभाव और आवेदन प्रक्रिया को समझने में बाधा उत्पन्न करता है।

बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन बताता है कि 85% छात्र जो शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जहाँ उन्हें मिड-डे मील, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी आदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह तथ्य शासकीय सहायता के सकारात्मक प्रभाव को प्रमाणित करता है। हालांकि, छात्रवृत्ति



जैसी आर्थिक सहायता केवल 72% बच्चों को ही नियमित रूप से प्राप्त हो रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ व्यवधान हैं।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि लगभग 60% परिवारों को योजनाओं की आंशिक या अधूरी जानकारी ही प्राप्त है। कई बार सूचना सही समय पर न मिलना, या तकनीकी जटिलताएँ जैसे ई-केवाईसी, बैंक खाते की स्थिति आदि योजनाओं के लाभ को बाधित करते हैं। योजनाओं के प्रभाव की बात करें तो 50% परिवारों ने इन्हें सकारात्मक माना, जबकि 30% ने सीमित और 20% ने नकारात्मक अनुभव साझा किए। यह दर्शाता है कि योजना का उद्देश्य जितना अच्छा है, उसका जमीनी क्रियान्वयन उतना ही असमान है।

अंत में, लगभग 45% परिवारों ने स्वीकार किया कि आर्थिक बाधाओं के कारण बच्चों की शिक्षा में रुकावट आती है। कई मामलों में बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। यह स्थिति इस ओर संकेत करती है कि योजनाओं का प्रभाव तभी स्थायी हो सकता है जब वे परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता दोनों को साथ लेकर चलें।

निष्कर्ष (Conclusion):

सीधी ज़िले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर शासकीय योजनाओं की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि शासकीय योजनाएँ जैसे मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी वितरण, साइकिल योजना आदि, इन बच्चों की शिक्षा में सहायक सिद्ध हो रही हैं। लगभग सभी परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं, परंतु सीमित आय, अभिभावकों की अल्प शिक्षा और योजनाओं की अपूर्ण जानकारी के कारण वे इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

यद्यपि योजनाओं का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इनका क्रियान्वयन असमान और कई बार बाधित भी देखा गया। योजनाओं की जानकारी की कमी, तकनीकी जटिलताएँ, प्रशासनिक विलंब तथा सामाजिक जागरूकता की कमी जैसे कारण इनका प्रभाव सीमित कर देते हैं। बच्चों की विद्यालय उपस्थिति और शैक्षणिक उपलब्धियाँ सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी हुई हैं कि परिवार को समय पर और पूर्ण रूप से योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।

इस अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि शासकीय योजनाएँ यदि पारदर्शिता और जागरूकता के साथ लागू की जाएँ, तो वे शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समावेशन का एक सशक्त



माध्यम बन सकती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन, विद्यालय और समाज के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाए और सामान्य वर्ग के वंचित बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जाए। इसके साथ ही परिवारों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर, उन्हें योजनाओं की सही जानकारी और मार्गदर्शन देना अनिवार्य है।

सन्दर्भ ग्रन्थ (Bibliography)

1. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
2. UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report: Inclusion and education – All means all. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. UNICEF. (2017). The impact of poverty on education outcomes. UNICEF Research Office, Florence.
4. Ramesh, K., & Mishra, S. (2015). Role of Government Schemes in Enhancing Educational Access among the Poor in India. Indian Journal of Public Administration, Vol. 61(4).
5. Gupta, R. (2018). Educational Challenges of Economically Weaker Sections in General Category: A Sociological Perspective. Journal of Social Development Studies, Vol. 4(2).
6. Singh, P. (2020). EWS Reservation in India: Scope and Implementation Gaps. Economic and Political Weekly, Vol. 55(3).
7. National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA). (2022). Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) Report.
8. Government of Madhya Pradesh – School Education Department. (2021). Annual Work Plan and Budget Report (AWPB).
9. Madhya Pradesh SamajikAnusandhan Parishad. (2020). Rajya ke Shiksha VibhagkiYojnaon ka SamajikVishleshan. Bhopal.
10. District Education Office, Sidhi. (2023). Annual District Education Report.
11. Planning Commission of India. (2014). Evaluation Study on Sarva Shiksha Abhiyan.



परिशिष्ट(Appendix)

साक्षात्कार अनुसूची

1. आपका नाम: _____
2. आपकी आयु: _____ वर्ष
3. आपका लिंग: ☐पुरुष☐महिला
4. आपकी शिक्षा: ☐निरक्षर☐प्राथमिक☐माध्यमिक☐स्नातकयाअधिक
5. मासिक आय: ☐ _____
6. क्या आपके पास BPL कार्ड है? ☐हाँ ☐नहीं
7. आपके कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? _____
8. वे किस कक्षा में पढ़ते हैं? ☐ 1-5 ☐ 6-8 ☐ 9-12
9. बच्चे किस प्रकार के विद्यालय में पढ़ते हैं? ☐शासकीय ☐निजी
10. क्या बच्चों को मिड-डे मील, किताबें, वर्दी मिलती हैं? ☐हाँ ☐नहीं
11. क्या बच्चों को छात्रवृत्ति या अन्य शासकीय सहायता मिलती है?
☐हाँ ☐नहीं☐जानकारीनहीं
12. क्या शासकीय योजनाओं से बच्चों की पढ़ाई में मदद मिली है?
☐हाँ ☐नहीं☐कुछहदतक
13. आपको किस योजना से सबसे अधिक लाभ मिला?

14. क्या कभी आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई रुकी है?
☐हाँ ☐नहीं
15. आपके सुझाव (यदि कोई हों):

